प्रेस नोट
दिनांक 08.03.2024

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल भार्मा के नेतृत्व में गठित थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–42/24, धारा 363,376(2एन),376(3) भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त भयाम बिहारी उर्फ हरि भयाम को बनगाई रेलवे स्टे ान मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.02.2024 को थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 सुरे ा कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवचेना के दौरान प्रका ा में आये आरोपी अभियुक्त भयाम बिहारी उर्फ हरि भयाम को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.03.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के तहत धारा 376 भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. भयाम बिहारी उर्फ हरि भयाम पुत्र बड़काऊ उर्फ गयाप्रसाद नि0 जानीजोत थाना को0 देहात जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–42/24, धारा 363,376(2एन),376(3) भादवि व 5एल/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 श्री रामदेव।
02. हे0का0 रमे ा यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.03.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजे ा कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0–27/24, धारा 376,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 07.03.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षी मनोज कुमार पुत्र तिलकराम द्वारा उसके साथ दुराचार किया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोशी पाए गए आरोपी अभियुक्त मनोज कुमार को आज दिनांक 08.03.2024 को थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मनोज कुमार पुत्र तिलकराम नि0 सिकौथा अलाउद्दीन थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–27/24, धारा 376,504,506 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
01. हे0का0 आद ा वर्मा

प्रेस नोट
दिनांक 08.03.2024

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।